# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1973/2010/जोधपुर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन,घट–प्रथम, जोधपुर — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स बजाज प्रिन्ट 'एन' पैक
जोधपुर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — विभाग की ओर से
श्री अरिन्जय जैन
अभिभाषक — व्यवहारी की ओर से
निर्णय दिनांक 31.08.2016

## निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–प्रथम, जोधपुर (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 06/जेयूए/09–10 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2010 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने, कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत रू. 36,701/–की शास्ति तथा 4 प्रतिशत की दर से कर रू. 4893/–आरोपित किया है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.10.2008 को वाहन संख्या पीबी–06–जी–2267 को जम्मू से जोधपुर आते समय फुट मण्डी, जोधपुर के पास चेक किया गया। वक्त चेकिंग वाहन में पेपर रोल भरे पाये गये और ट्रक में भरा माल अनलोड किया जा रहा था। वाहन चालक से वाहन में लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक ने बिल्टी नम्बर 1006 व 1007 दिनांक 23.10.2008, इनवाईस नम्बर 265 व 266 दिनांक 23.10.2008 एवं घोषणा पत्र वैट–47 नम्बर 4746786 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गय कि माल भेजने वाली एवं पाने वाली एक ही फर्म है और बिल्टी अलग–अलग हैं। इस सम्बन्ध में वाहन चालक के बयान लिये गये तो उसने बताया कि 17084 किलोग्राम मला मैसर्स बजाज प्रिन्ट एन पैक का है तथा शेष 7071 किलोग्राम माल मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स का है ,जिसके प्रभारी श्री विमल है। वाहन व माल को अधिनियम की धारा 16(5)(ए) के अन्तर्गत जांच हेतु रोका गया, जिस पर मैसर्स बजाज प्रिन्ट एन पेक ने उपस्थित होकर माल के सम्बन्ध में कोई भी अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु लिखा गया। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को नोटिस जारी किया तथा नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर प्रस्तुत जवाब में लिखे कारणों को अस्वीकार कर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत 7071 किलोग्राम माल की

कीमत रू. 1,22,336/– पर 30 प्रतिशत की दर से रू. 41,594/–की शास्ति आरोपित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी शास्ति आदेश दिनांक 28.10.2008 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति व कर को अपास्त कर अपील स्वीकार की है,जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2010 विधि एवं प्रकरण के तथ्यों विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है। उनका कथन है कि जब माल भेजने वाला व माल पाने वाला एक ही व्यवसायी हो तो फिर अलग–अलग बिल्टी व बिल बनाने का कोई औचित्य नहीं रहता है । उनका कथन है कि जब बिल व बिल्टी अलग–अलग बनायी गई हैं तो फिर विभाग का घोषणा पत्र वैट–47 एक ही क्यों बनाया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स जे.के. कार्ड बोर्ड इण्डस्ट्रीज, जम्मू को 17 टन कागज का आदेश दिया गया था परन्तु मिनी ट्रक उपलब्ध नहीं होने के कारण उसके द्वारा 24 टन की केपेसिटी का वाहन इनगेज किया जाकर बिल्टी संख्या 1006 दिनांक 23.10.2009, 17 टन की एवं बिल्टी संख्या 1007 दिनांक 23.10.2007, 7 टन की बनाकर माल जम्मू से जोधपुर के लिए रवाना किया गया । उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के होने से दोनों बिलों का विवरण एवं उनकी राशि अंकित करते हुए घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4746786 तैयार किया गया, जिसको वक्त चेकिंग कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है,जिसको अमान्य किये जाने का कोई ठोस कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। उनका कथन है कि वक्त चेकिंग अधिनियम की धारा 76 (2)(बी) में विहित सभी दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे,जिनको मिथ्या अथवा फर्जी सिद्ध किये बिना ही मांग सृजित की गई है,जो विधि के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों का विवेचन करने के बाद सृजित मांग को अपास्त किया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि माल भेजने वाला और पाने वाली एक ही फर्म हैं तो फिर अलग अलग बिल व बिल्टी क्यों बनाई गई तथा अलग अलग बिल्टी व बिल बनाये तो फिर विभाग का वैट–47 एक ही क्यों बनाया गया है? उक्त आक्षेप के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया,जिसकी पालना में उसके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "मैसर्स जे.के. कार्ड बोर्ड इण्डस्ट्रीज, जम्मू को 17 टन कागज का आदेश दिया गया था परन्तु मिनी ट्रक उपलब्ध नहीं होने के कारण उसके द्वारा 24 टन की केपेसिटी का वाहन इनगेज किया जाकर बिल्टी संख्या 1006 दिनांक 23.10.2009, 17 टन की एवं बिल्टी संख्या 1007 दिनांक 23.10.2007, 7 टन की बनाकर माल जम्मू से जोधपुर के लिए रवाना किया गया । उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के होने से दोनों बिलों का विवरण एवं उनकी राशि अंकित करते हुए घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 4746786 तैयार किया गया, जिसको वक्त चेकिंग कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है"। उक्त जवाब को अमान्य करने के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई ठोस कारण अपने आदेश में अंकित नही किये हैं, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे समाधानपरक मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वक्त चेंकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये है और दस्तावेजों के अनुसार ही माल का परिवहन किया जा रहा था, जिससे अधिनियम की धारा 76 (2) की पूर्ण पालना होती थी। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध नही है कि जिससे यह प्रमाणित होता हो कि दस्तावेजों के अनुसार माल का परिवहन नही किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य इस पीठ के समक्ष नहीं है। फलतः अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाय गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य